सदराम बनाम तुलसाराम अपील संख्या 21/2018

30.10.2018 पक्षकारान के वकील उपस्थित। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 में पारित किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के अन्तर्गत लोक अदालत को विधिक दर्जा दिया गया है। जिसमें अदालत के निर्णय को दीवानी अदालत की डिक्री माना है तथा लोक अदालत के निर्णय को अंतिम माना है। साथ ही लोक अदालत के निर्णय की अपील नहीं होती हैं।

प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 में पारित किया गया है। जो आपसी सहमति के आधार पर पारित किया गया है। राजस्व लोक अदालत में आपसी सहमति से किये गये निर्णय में अपील करने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर